न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2018/0279 विरूद्ध आदेश दिनांक 18/11/2017 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मंडल साँची तहसील व जिला रायसेन प्रकरण क्रमांक 16/अ-12/2017-18

नासिर अली आत्मज नोशे अली
कृषक ग्राम अंबाड़ी तहसील व जिला रायसेन
निवासी मकान नं. 09 ईदगाह हिल्स भोपाल ....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती तीरथ बाई पुत्री स्व. श्रीराम, पत्नी होतम सिंह
कृषक व निवासी ग्राम अंबाड़ी तहसील व जिला रायसेन ....अनावेदिका

श्री बी.के.श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री अमित गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मंडल साँची तहसील व जिला रायसेन द्वारा पारित दिनांक 18/11/2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा ग्राम अंबाड़ी तहसील व जिला रायसेन स्थित उसके भूमिस्वामी स्वत्व की खसरा नंबर 51 रकबा 0.490 हेक्टयर भूमि के सीमांकन हेतु संहिता की धारा 129 के अंतर्गत आवेदन पत्र अतिरिक्त तहसीलदार टप्पा के

समक्ष प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/अ-12/2017-18 दर्ज कर दिनांक 18/11/2017 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक ने अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर दिनांक 15-11-17 को प्रकरण दर्ज कर हल्का पटवारी को सीमांकन करने के आदेश दिये गये, किन्तु किसी भी मेढ़ पड़ोसी को सूचना जारी करने संबंधी निर्देशों का उल्लेख आदेश पत्रिका में नहीं है न ही सूचना पत्र जारी किया गया जो कि प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत कार्यवाही होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अनावेदिका को इस बात की जानकारी रही है कि वादग्रस्त भूमि उसे पिता द्वारा आवेदक को विक्रय कर आधिपत्य सौंपा जा चुका है, फिर भी राजस्व पत्रों में अपना नाम नाममात्र के लिये दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पत्र दिनांक 15-11-17 में आवेदक को बिना पक्षकार बनाये, पड़ोसी कृषकों को सूचना दिये बिना सीमांकन किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । आवेदक के आधिपत्य की साक्ष्य को निरस्त करने के उद्देश्य से अवैध सीमांकन दिनांक 18-11-17 को किया जाना बतलाते हुए पंचनामा एवं प्रतिवेदन द्वारा आवेदक के आधिपत्य के विपरीत दस्तावेजी साक्ष्य तैयार करने का प्रयास किया गया की गई कार्यवाही निरस्त करने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही की गई है इसलिए सीमांकन कार्यवाही एवं पारित आदेश निरस्त किया जाये ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा संहिता की धारा 129 के प्रावधानों को विधिवत पालन करते हुए आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना देकर उपस्थित पंचों के समक्ष सीमांकन कर पंचनामा बनाया गया है, जिसमें अनावेदिका की भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा टी0एस0एम मशीन से विधिवत् नासिर अली की उपस्थिति में सीमांकन किया गया है । आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के क्रय किये जाने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, प्रश्नाधीन भूमि यदि आवेदक द्वारा क्रय की गई है तो पहले भू-अभिलेखों में अपना नाम चढ़वाते । अनावेदिका की भूमि पर आवेदक का अबैध कब्जा पाया गया है । राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर संहिता के प्रावधानों के अनुसार सीमांकन की कार्यवाही की गई है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । अत: राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मंडल साँची तहसील व जिला रायसेन द्वारा पारित दिनांक 18/11/2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर